

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

Non-Encumbrance Certificate issued to UCO Bank, Saket Branch, 1st Floor, Saket, New Delhi-110017.
 अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113 आवेदन पत्र संख्या 1176/2022
 प्रमाण पत्र संख्या 1176/2022 मुक्ति श्री Jalak Kumar Sonagi Adv. for Saurav Paul न मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संख्यावाहकों और अवभारों का संविचरण प्रमाण पत्र दिया जाय ।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संख्यावाहकों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 01.01.2011

से ता० 19.10.2022 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संख्यावाहकों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बर्षों कि इसके बारे में उल्लेख हो

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।



मैं यह शी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़ कर उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवशरों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाषी की प्रमाण पत्र तैयार किया

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न निबंधन कार्यालय,
 लखनऊ-खुरलवा (उत्तरांचल) 6/10/2022
 का अनुक्रमणिका 6/2 एन जिल्ड का तलाषी आदेश
 (1) मल्लू लाल साहनी (अधिवक्ता) का (सुप्रीम कोर्ट)
 तलाषी माला-खुरलवा (उत्तरांचल), आला-गन्धारी, आला
 नं. 67 (वा. 5.147, ल. 5.1079, रक. 14.253)
 तलाषी का सत्यापन ऋणशर प्रमाण पत्र का जोच सम्पत्ति के आधारित अभिलेख में अवकाश के
 को 2 प्रविष्टि नहीं है। अवकाश के तलाषी के लिए निम्न
 जानकारी के अनुसार अवकाश प्रमाण पत्र निम्नलिखित
 को है।

तलाषी का सत्यापन ऋणशर प्रमाण पत्र का

हस्ताक्षर - H. K. S. S. S.

पदनाम - मि. मि. मि.

कार्यालय - जिला निबंधन कार्यालय



20/10
 जिला और निबंधन
 लखनऊ

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख 20/10/2022

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रान्जेक्शन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाषी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाषी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाषी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाषी परिणाम को किसी भूल के लिए भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाषी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों को छूट के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभाव पड़ता हो।